

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2773/2026

Gopal Lal S/o Sh Bheru Lal Gurjar, Aged About 26 Years, R/o Etawa, P.s. Parsoli, District Chittorgarh. Raj. (At Present Lodged In District Jail Chittorgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Bhawani Singh
For Respondent(s)	: Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Ravindra Singh Bhati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR
Order

25/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना— साड़ास, जिला— चित्तौडगढ़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— **47/2024** अपराध अन्तर्गत **धारा 8/15** **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 8/15 सपठित धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में लादूलाल के बाड़े से तथाकथित रूप से कुल 185 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त की सहअभियुक्त लादूलाल को डोडाचूरा सप्लाई करने में कोई संबद्धता नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व लादूलाल परस्पर रिश्तेदार होने का तथ्य आया है और लादूलाल व प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य जो वार्ता होना बताया गया है, वह मात्र रिश्तेदार होने की हैसियत से है। इस प्रकार की कोई सारभूत साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने चोरी का वाहन उपलब्ध करवाते हुए डोडाचूरा का परिवहन किया हो और उक्त डोडाचूरा लादूलाल के बाड़े में डाला हो। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट में पंजीबद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत हो

चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा चोरी का वाहन उपलब्ध करवाकर उक्त डोडाचूरा लादूलाल के बाड़े में रखा गया है और वाणिज्यिक मात्रा में डोडाचूरा बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियुक्त लादूलाल की प्रार्थी/अभियुक्त के साथ कॉल डिटेल के माध्यम संबद्धता होना अभिलेख पर कॉल डिटेल रिपोर्ट से आया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त के सचेत आधिपत्य से कुल 185 किलो 700 ग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद नहीं हुआ है, बल्कि सहअभियुक्त के बाड़े से बरामद हुआ है और कॉल डिटेल के अलावा अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्त लादूलाल के साथ चोरी के वाहन में उक्त डोडाचूरा पोस्ट का परिवहन किया हो और उक्त संदर्भ में डोडाचूरा लादूलाल के बाड़े में बताया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल गुर्जर** आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J